

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक – 206

M-COM-2019-00457

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरुद्ध "शौर्य नवद्वार", प्रमोटर-शौर्य इन्फ्रावेन्चर, द्वारा-
श्री सतीश जैन, पता-कुसुम कॉम्प्लेक्स, शंकर नगर, रायपुर (छ.ग)
प्रोजेक्ट-"शौर्य नवद्वार"

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
09/12/2021	<p>– प्रकरण प्रस्तुत ।</p> <p>– भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 धारा-5, अंतर्गत अनावेदक का प्रोजेक्ट "शौर्य नवद्वार" पंजीयन क्रमांक-PCGRERA040718000446 के रूप में छत्तीसगढ़ रेरा में पंजीकृत किया गया है। छत्तीसगढ़ रेरा में पंजीकृत सभी प्रोजेक्ट्स को भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा-11 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार प्रोजेक्ट की त्रैमासिक प्रगति रेरा के वेबपोर्टल पर अद्यतन करना अनिवार्य है। इस संबंध में प्राधिकरण द्वारा अपने परिपत्र क्रमांक-17/रेरा/2018/562, दिनांक 28.09.2018 एवं क्रमांक-22/रेरा/2018/676, दिनांक 03.11.2018 के माध्यम से विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी किये गये थे। जो प्राधिकरण की वेबसाईट पर सहज उपलब्ध हैं।</p> <p style="text-align: center;">प्राधिकरण द्वारा समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि अनावेदक द्वारा उपरोक्त उल्लेखित प्रावधानों व निर्देशों की अवहेलना करते हुए, उपरोक्त वर्णित रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की त्रैमासिक प्रगति पोर्टल पर अद्यतन नहीं की गई है। अतः प्राधिकरण द्वारा अनावेदक के विरुद्ध दिनांक 09.04.2019 को प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।</p> <p>– अनावेदक द्वारा प्रकरण की सुनवाई के दौरान विवादित प्रोजेक्ट का त्रैमासिक अद्यतन पूर्ण करने हेतु समय की मांग की गई। प्राधिकरण द्वारा अनावेदक को लंबित त्रैमासिक अद्यतन पूर्ण करने हेतु समुचित अवसर प्रदान किया गया।</p> <p>– प्राधिकरण ने विवादित प्रोजेक्ट की वर्तमान स्थिति की जानकारी हेतु संयुक्त जांच दल गठित कर विवादित प्रोजेक्ट की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट भी प्राप्त की तथा अनावेदक को इस संबंध में अपना जवाब प्रस्तुत करने हेतु समुचित अवसर भी प्रदान किया।</p> <p>– विवादित प्रोजेक्ट की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट अनुसार प्रोजेक्ट का अभिन्यास नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय द्वारा दिनांक 03.05.2014</p>	

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक – 206

M-COM-2019-00457

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरुद्ध "शौर्य नवद्वार", प्रमोटर-शौर्य इन्फ्रावेन्चर, द्वारा-
श्री सतीश जैन, पता-कुसुम कॉम्प्लेक्स, शंकर नगर, रायपुर (छ.ग)
प्रोजेक्ट-"शौर्य नवद्वार"

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
	<p>को अनुमोदित किया गया था, जिसके अंतर्गत 1000, 1200 एवं 1500 वर्गफीट के 104 भूखण्डों का विकास किया जाना प्रस्तावित है। प्रमोटर द्वारा अब तक 40 भूखण्डों का विक्रय किया जा चुका है। विकास कार्य के तहत केवल मुरमीकरण कर सड़क का निर्माण किया गया है, प्रोजेक्ट स्थल पर पेयजल व्यवस्था के अंतर्गत एक ट्यूबनल बोर का खनन किया गया है, जो उपयोग में नहीं है, प्रोजेक्ट स्थल पर ऑफिस/स्टोर का अस्थायी शेड बनाया गया है, भूमि के चारों ओर Barbed Wire fencing तथा एक मुख्य प्रवेश द्वार का निर्माण किया गया है। ई.डब्ल्यू. एस. के लिये खुली जमीन छोड़ी गई है। प्रोजेक्ट स्थल पर मात्र 20 प्रतिशत ही विकास कार्य किये गये हैं, जिसकी स्थिति निम्नानुसार है- पक्की सड़क का निर्माण प्रारंभ नहीं किया गया है, नाली निर्माण कार्य आज तक प्रारंभ नहीं किया गया है, पेयजल व्यवस्था के अंतर्गत नल खनन कर पॉवर पम्प स्थापित नहीं है, प्रकाश व्यवस्था के अंतर्गत कोई भी कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है, गार्डन के कार्य के अंतर्गत मात्र कुछ पेड़-पौधे लगाये गये हैं, जो पूर्णतः विकसित नहीं है, एस.टी.पी. का कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है, रेनवाटर हार्वेस्टिंग आदि कार्य भी प्रारंभ नहीं किये गये हैं।</p> <p>– प्राधिकरण द्वारा विवादित प्रोजेक्ट से संबंधित समस्त दस्तावेजों का अवलोकन व अध्ययन किया गया। अनावेदक द्वारा प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड की गई जानकारी अनुसार मार्च, 2021 तक विवादित प्रोजेक्ट के विकास कार्य की पूर्णता की स्थिति 21 प्रतिशत है। अनावेदक द्वारा मार्च, 2021 उपरांत कोई त्रैमासिक जानकारी अपलोड नहीं की गई है। यहाँ यह भी उल्लेखित करना सुसंगत होगा कि प्राधिकरण में प्रस्तुत पंजीयन हेतु आवेदन अनुसार प्रोजेक्ट पूर्णता दिनांक 31.12.2019 है। इस प्रकार निर्धारित समयावधि समाप्त होने के दो वर्ष उपरांत भी अनावेदक ने विवादित प्रोजेक्ट का विकास कार्य पूर्ण नहीं किया है और ना ही मार्च, 2021 उपरांत त्रैमासिक अद्यतन किया है। अधिनियम के प्रावधानों अंतर्गत आबंटितियों के हितों का संरक्षण व रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स का निर्धारित समयावधि में विकास सुनिश्चित कराना प्राधिकरण का प्रमुख दायित्व है। अनावेदक द्वारा 40</p>	

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक – 206

M-COM-2019-00457

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरुद्ध "शौर्य नवद्वार", प्रमोटर-शौर्य इन्फ्रावेन्चर, द्वारा-
श्री सतीश जैन, पता-कुसुम कॉम्प्लेक्स, शंकर नगर, रायपुर (छ.ग)
प्रोजेक्ट-"शौर्य नवद्वार"

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
	<p>आबंटितियों को भूखण्ड विक्रय करने पश्चात् विकास कार्य पूर्ण नहीं किया गया है, जिससे आबंटितियों का हित विपरीत रूप से प्रभावित होता है। इसके अतिरिक्त अनावेदक द्वारा त्रैमासिक जानकारियाँ भी अद्यतन नहीं की जा रही है। अनावेदक ने वर्ष 2019-2020 की वार्षिक लेखा परीक्षण रिपोर्ट भी प्रस्तुत नहीं की है। अनावेदक का उक्त कृत्य भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा-4 व धारा-11 का उल्लंघन है। अधिनियम के उक्त प्रावधानों के उल्लंघन हेतु क्रमशः अधिनियम की धारा-60 व 61 में शास्ति अधिरोपित किये जाने का प्रावधान है। उक्त शास्ति की राशि प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत के 5 अथवा 10 प्रतिशत तक हो सकती है। चूँकि अनावेदक/प्रमोटर द्वारा मार्च 2021 उपरांत कोई जानकारी अद्यतीकरण नहीं की गई है, अतः अनावेदक पर उपरोक्त उल्लेखित प्रावधानों अंतर्गत राशि रूपये 50,000/- की शास्ति अधिरोपित करते हुये अनावेदक को समस्त लंबित अनुपालनों को पूर्ति करने हेतु निर्देशित किया जाना उचित प्रतीत होता है। साथ ही अनावेदक द्वारा उपरोक्तानुसार अनुपालन किये जाने तक आबंटितियों के हितों के संरक्षण के उद्देश्य से प्रोजेक्ट में क्रय विक्रय को प्रतिबंधित किया जाना भी उचित प्रतीत होता है।</p> <p>– उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्राधिकरण द्वारा अनावेदक के विरुद्ध निम्नानुसार आदेश पारित किया जाता है :-</p> <ol style="list-style-type: none">1. प्रमोटर पर अधिनियम के प्रावधानों को पालन नहीं किये जाने पर और अधिनियम की धारा-4 व धारा-11 के प्रावधानों का उल्लंघन करने के कारण रूपये 50,000/- की शास्ति अधिरोपित की जाती है। अनावेदक उपरोक्त राशि दो माह के भीतर निर्धारित शासकीय मद में जमा करना सुनिश्चित करे।2. अनावेदक, दो माह के भीतर, प्रोजेक्ट संबंधी सभी लंबित त्रैमासिक अद्यतन, वार्षिक लेखा परीक्षण रिपोर्ट वर्ष 2019-2020 को प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड करना तथा अन्य लंबित अनुपालनों को पूर्ण करना सुनिश्चित करे। यदि अनावेदक द्वारा निर्धारित समयावधि में	

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर
आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक – 206

M-COM-2019-00457

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरुद्ध "शौर्य नवद्वार", प्रमोटर-शौर्य इन्फ्रावेन्चर, द्वारा-
श्री सतीश जैन, पता-कुसुम कॉम्प्लेक्स, शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.)
प्रोजेक्ट-"शौर्य नवद्वार"

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
	<p>उपरोक्त आदेशों का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो अधिनियम के प्रावधानों अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही करते हुये प्रमोटर को डिफाल्टर घोषित किया जावेगा।</p> <p>3. अनावेदक द्वारा उपरोक्त आदेशों का अनुपालन किये जाने तक विवादित प्रोजेक्ट में विक्रय पर प्रतिबंध लगाया जाता है। रजिस्ट्रार, छ.ग. रेरा को यह निर्देशित किया जाता है कि कलेक्टर, जिला-रायपुर (छ.ग.) व जिला-पंजीयक, जिला-रायपुर (छ.ग.) को इस संबंध में पृथक से पत्र प्रेषित करे।</p> <p>– आदेश की प्रति प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड की जावे।</p> <p>– प्रकरण नस्तीबद्ध कर अभिलेख कोष्ठ दाखिल किया जावे।</p> <p style="text-align: center;">सही / – (राजीव कुमार टम्टा) सदस्य</p> <p style="text-align: center;">सही / – (विवेक ढाँड) अध्यक्ष</p>	

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर
आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक – 206

M-COM-2019-00457

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरुद्ध "शौर्य नवद्वार", प्रमोटर-शौर्य इन्फ्रावेन्चर, द्वारा-
श्री सतीश जैन, पता-कुसुम कॉम्प्लेक्स, शंकर नगर, रायपुर (छ.ग)
प्रोजेक्ट-"शौर्य नवद्वार"

आदेश कार्यवाही की
तारीख व स्थान

आदेश अथवा कार्यवाही

पक्षकार अथवा प्रतिनिधि
के हस्ताक्षर

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर
आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक – 206

M-COM-2019-00457

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरुद्ध "शौर्य नवद्वार", प्रमोटर-शौर्य इन्फ्रावेन्चर, द्वारा-
श्री सतीश जैन, पता-कुसुम कॉम्प्लेक्स, शंकर नगर, रायपुर (छ.ग)
प्रोजेक्ट-"शौर्य नवद्वार"

आदेश कार्यवाही की
तारीख व स्थान

आदेश अथवा कार्यवाही

पक्षकार अथवा प्रतिनिधि
के हस्ताक्षर